न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 109/2021

अनवान : –

1. मूर्ति श्री लक्ष्मीनाथ जी मन्दिर लक्ष्मीनाथ जी गढ़ भूकरका ग्राम भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ जरिये संरक्षक ठाकुर मानवेन्द्रसिंह पुत्र राव अमरसिंह जाति राजपूत साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–सायल

बनाम

1. श्रीमति दर्शना धर्म पत्नी स्व. श्री देवदत पुत्र स्व. किशनाराम जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.) (नाम कलमजन)
2. अशेक कुमार पुत्र स्व. श्री देवदत पुत्र स्व. किशनाराम जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. गोपालराम पुत्र स्व. श्री देवदत पुत्र स्व. किशनाराम जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. चरणदास पुत्र स्व. श्री देवदत पुत्र स्व. किशनाराम जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. पृथ्वीराज पुत्र स्व. श्री देवदत पुत्र स्व. किशनाराम जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
6. दृनन्दकिशोर पुत्र स्व. श्री देवदत पुत्र स्व. किशनाराम जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
7. हरीशचन्द्र पुत्र स्व. किशनाराम जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर (नाम कलमजन)

7/1 – राजेन्द्रकुमार पुत्र हरीशचन्द्र (फोत)

7/1/1–फुलादेवी पत्नी राजेन्द्रकुमार जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर

7/1/2 – सुनिल पुत्र राजेन्द्रकुमार जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर

7/1/3 – सरजीत पुत्र राजेन्द्रकुमार जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर

7/1 /4 – पिकी पुत्री राजेन्द्रकुमार जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर

7/2 – सुरेशकुमार पुत्र हरीशचन्द्र जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर

7/3 – कालीचरण पुत्र हरीशचन्द्र जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर

7/4 – रमेशकुमार पुत्र हरीशचन्द्र जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर

7 /5 – महेश पुत्र हरीशचन्द्र जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर जाति

7/6 – राजबाला पुत्री हरीशचन्द्र जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:55:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

8. श्यामलाल पुत्र स्व. किशनाराम पुत्र स्व. लाभूराम जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

9. ज्ञानचन्द पुत्र स्व. किशनाराम पुत्र स्व. लाभूराम जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

10. रतनलाल पुत्र स्व. किशनाराम पुत्र स्व. लाभूराम जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

11. शकुन्ता पत्नी स्व. ठाकरदत जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

12. आशुतोष पुत्र स्व. ठाकरदत जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

13. अरविन्द पुत्र स्व. ठाकरदत जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

14. मधुसूदन पुत्र श्री कैलाशचन्द पुत्र स्व. यज्ञदत पुत्र स्व. श्री भूराराम जाति ब्राहम्ण साकिन हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)

15. अमन पुत्र स्व. शिवदेश पुत्र स्व. यज्ञदत पुत्र स्व. श्री भूराराम जाति ब्राहम्ण साकिन हनुमानगढ़ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)

16. कमल किशोर पुत्र स्व. श्री महाराजकिशन पुत्र स्व. श्री भूराराम जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

17. संतोषरानी धर्म पत्नी स्व. श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री महाराजकिशन जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

18. दीपक पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री महाराजकिशन जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

19. चन्द्रशेखर पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री महाराजकिशन जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

20. सोनिया पुत्री स्व. श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री महाराजकिशन जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

21. दृचन्द्रकान्ता धर्मपत्नी स्व. श्री पवन कुमार पुत्र स्व. श्री महाराजकिशन जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

22. ममता पुत्री स्व. श्री पवन कुमार पुत्र स्व. श्री महाराजकिशन जाति ब्राहम्ण साकिन वार्ड न. 20 सेतिया कॉलोनी गली न. 4 श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर (राज.)

23. मनदीप पुत्र स्व. श्री महाराजकिशन जाति ब्राहम्ण साकिन वार्ड न. 20 सेतिया कॉलोनी गली न. 4 श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर (राज.)

24. संदीप कुमार पुत्र स्व. श्री पवन कुमार पुत्र स्व. श्री महाराजकिशन जाति ब्राहम्ण वार्ड न. 20 सेतिया कॉलोनी गली न. 4 श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:55:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

25. प्रेमलता धर्मपत्नी स्व. श्री मदनलाल पुत्र स्व. श्री महाराजकिशन जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
26. प्रदीप कुमार पुत्र स्व. श्री मदनलाल पुत्र स्व. श्री महाराजकिशन जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
27. निताशा पुत्री स्व. श्री मदनलाल पुत्र स्व. श्री महाराजकिशन जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
28. शिवानी पुत्री स्व. श्री मदनलाल पुत्र स्व. श्री महाराजकिशन जाति ब्राहम्ण साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
29. एच.डी.एफ.सी बैक लिमिटेड शाखा रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
30. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
31. एच.डी.एफ.सी बैक लिमिटेड शाखा हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़
32. उप पंजियक नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
33. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :— 1. श्री हवासिंह अधिवक्ता **सायल**
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 20/12/2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की सायल ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया है कि ग्राम भुकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ में जागीदार द्वारा गढ का निर्माण करवाया साथ ही उसी समय गढ के अन्दर अपने ईष्ट देव श्री लक्ष्मीनाथ जी महाराज के मंदिर का निर्माण करवाया एवं मंदिर की देखरेख एवं पूजा पाठ आदि में होने वाले खर्च हेतु ग्राम भूकरका में कृषि भूमि खसरा संख्या 549 तादादी 186 बीघा 8 बिस्वा मंदिर मूर्ति श्री लक्ष्मीनाथ जी के नाम खातेदारी दे दी गयी। जिस पर मंदिर मूर्ति श्री लक्ष्मीनाथ जी के अलावा अन्य किसी का हक हकूक मालिकाना काबिजाना नहीं था। उक्त कृषि भूमि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के साबिका खसरा नम्बर 549 की 186 बिघा 8 बिस्वा भूमि वर्तमान में हाल खसरा संख्या 724 की 174 बिघा 8 बिस्वा 938/661 की 4 बिघा 939/727 की 8 बिघा कुल 186 बिघा 8 बिस्वा में परिवर्तित हो गयी है जिस पर मंदिर मूर्ति श्री लक्ष्मीनाथ जी का एकल स्वामित्व मालिकाना काबिजाना खातेदारी हक हकूक था व आज दिनांक को है ।

मंदिर गढ के अन्दर होने की वजह से मूर्ति श्री लक्ष्मीनाथ जी की पूजा के लिए स्थायी पूजारी की कोई व्यवस्था नहीं थी जागीरदार अपने हिसाब से किसी भी ब्राहम्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:55:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

को पूजा के लिए नियुक्त कर देते थे एवं मूर्ति में निहित स्वामित्व की वादग्रस्त कृषि भूमि पर किसी भी काश्तकार से काश्त करवाकर उससे होने वाली आय को मंदिर की देखरेख पूजा सामग्री, पोशाक आदि पर व्यय करते थे । यही परम्परा मंदिर के निर्माण से लेकर आजादी के समय तक चली आ रही थी। ग्राम भूकरका के अंतिम जागीरदार राव अमर मानवेन्द्र सिंह सिंह जी बीकानेर राज्य के भारत संघ में विलीन होने के पश्चात अपने धारण की भूमि के सम्बन्ध में भिन्न–भिन्न सिलिंग आदि प्रकरणों में व्यस्त होने के कारण मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ जी के स्वामित्व की कृषि भूमि पर ध्यान नहीं दे पाये एवं बाद में लम्बी बीमारी के पश्चात उनका स्वर्गवास होने के पश्चात सायल मंदिर की सेवा पूजा की व्यवस्था करवाता आ रहा जागीर भूकरका का राजस्व रिकॉर्ड में नम्बर खेवट 143 नम्बर खतोनी 412 में कॉलम नं. 5 पर बहैसियत खातेदार मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ जी के नाम का अंकन है। जिसमें उनके खुदकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 549 तादादी 186.08 बीघा का अंकन है। मुताबिक प्रथम राजस्व रिकॉर्ड के मूर्ति श्री लक्ष्मीनाथ जी वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार थे एवं किशनाराम पुत्र लाभूराम केवल मात्र काश्तकार की हैसियत रखता था। उक्त राजस्व रिकॉर्ड में किशनाराम को या किसी अन्य को मंदिर का पूजारी होना अंकित नहीं किया है। अर्थात किशनाराम मंदिर के पूजारी की हैसियत नहीं रखता था । वह केवल काश्तकार था ।

मिसल बंदोबसत संवत 2001–02 के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी 2008 बनी जिसके खेवत संख्या 143 में खातेदार का नाम श्री ठाकुर जी मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ जी के नाम का अंकन है एवं कृषक के रूप में किशनाराम के नाम का अंकन है त्तपश्चात जमाबंदी संवत 2012 में भी वहीं अंकन है किन्तु काश्तकार के रूप में किशनाराम के अलावा सुरजाराम व मनफूल के नाम का अंकन आ गया उनकी हैसियत भी पूजारी नहीं थी केवल काश्तकार ही थे। तत्पश्चात पुनः भुप्रबन्ध एवं भूसर्वे का कार्य राजस्थान सरकार द्वारा करवाया गया जिसमें उक्त कृषि भूमि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के साबिका खसरा नम्बर 549 की 186 बिघा 8 बिस्वा भूमि वर्तमान में हाल खसरा संख्या 724 की 174 बिघा 8 बिस्वा 938/661 की 4 बिघा 939/727 की 8 बिघा कुल 186 बिघा 8 बिस्वा में परिवर्तित हो गयी है जो वर्तमान में खसरा संख्या 724/1 तादादी 7.8530 हैक्टयर खसरा संख्या 724/ 2 तादादी 12.6840 हैक्टयर खसरा संख्या 724ध्3 तादादी 15.7190 हैक्टयर खसरा संख्या 724/4 कि 7.8530 खसरा संख्या 938ध्661 तादादी 1.0120 हैक्टयर खसरा संख्या 939/727 तादादी 2.0230 कुल तादादी 47. 1456 हैक्टयर भूमि है। उक्त भूप्रबन्ध के समय मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ जी खातेदार के साथ पूजारी देवदत, हरीशचन्द्र, श्यामलाल, ज्ञानचन्द, रतनलाल पि० किशनाराम के नाम का अंकन विधि विरूद्ध किया गया एवं इसी अंकन का बाद में बेजा फायदा उठाते हुए उन्होंने लक्ष्मीनाथ जी के नाम को हटाकर समस्त कृषि भूमि को अपने नाम भी मनमर्जी से जोड़ लिये एवं खाता विभाजन भी करवा लिया। समस्त कार्यवाही विधि विरूद्ध होने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है एवं मूर्ति श्री लक्ष्मीनाथ जी के हकदूक खातेदारी काश्तकार की हद तक बातिल व बेअसर है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:55:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कृषि भूमि के नये खसरा पविर्तन होकर निम्न प्रकार से बने जो वर्तमान में है। जो वर्तमान में उनके मानवल्ड सिंह वारिसान एवं परिवार के अन्य लोगों के नाम से दर्ज है। जिसका उनका अधिकार नहीं था। उक्त इन्द्राज को निरस्त कर कृषि भूमि को पुनः मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ जी के नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है । मूर्ति श्री लक्ष्मीनाथ जी विधिक व्यक्ति (समहंस चमतेवद) है जो शश्वत नाबालिंग की श्रेणी में आते है, किसी भी नाबालिंग की सम्पति को विक्रय करने का किसी भी प्रकार से हस्तानतरण करने का उस पर नाजायज कब्जा करने का व किसी भी प्रकार से नाबालिंग की सम्पति हड़पने का व अपने नाम से करवाने का अधिकारी गैरसायलगण उनके पूर्वज व किसी अन्य को नहीं है। गैरसायलगण व उनके पूर्वजों द्वारा विधि की इस स्थापित व्यवस्था के विपरीत जाकर गलत रूप से मंदिर की सम्पति को हड़पने का व सम्पति अपने नाम कराने का कार्य किया है। जो प्रारम्भ से ही शून्य एवं निश प्रभावी है जिसकी घोषणा करवाने का मूर्ति श्री लक्ष्मीनाथ जी को पूर्ण अधिकार हासिल है जिसका यह वाद पत्र पेश है।

उक्त वाद भूमि का एकमात्र स्वामित्व मूर्ति श्री लक्ष्मीनाथ जी में निहित है। लक्ष्मीनाथ जी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का वादग्रस्त भूमि पर न तो कभी कोई स्वामित्व था तथा ना ही कभी हो सकता है। गैरसायल व उनके पूर्वजों के द्वारा गलत रूप से मंदिर मूर्ति की स्म्पति को हड़पने के लिए राजस्व रिकॉर्ड के साथ मिलीभगत जालसाजी कर छेड़छाड़ की है एवं सम्पति को अपने नाम से करवा लिया जिसका उनको अधिकार नहीं था सायल को आशंका है कि गैरसायलान वादग्रस्त सम्पति को खर्द बुर्द कर सकते है। इसलिए गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा के व्यादेश से पाबन्द करवाया जाना आवश्यक है कि वह वादग्रस्त कृषि भूमि को किसी प्रकार से रहन बैय मुन्तकिल नहीं करे एवं ऐसा कोई तर्क या तर्क फैल नहीं करे जिस मूर्ति लक्ष्मीनाथ जी की सम्पति कृषि भूमि खातेदारी काश्तकारी पर विपरीत असर पड़ता है । सायलगण के ईष्ट देव श्री लक्ष्मीनाथ जी है जिनके मंदिर का निर्माण संवत 1943 में राणी अमर कंवर जी धर्मपत्नी ठाकुर नत्थु सिंह जी जागीरदार ठिकाणा भूकरका के द्वारा अपनी निजी खर्च की रकम में से भूकरका स्थित गढ में करवाया था। उक्त मंदिर उनका नीजि मंदिर रहा था एवं यह परम्परा उनके बाद भी निरन्तर आज तक चली आ रही है। मूर्ति लक्ष्मीनाथ जी की सेवा पूजा की समस्त व्यवस्था वर्तमान में सायलगण द्वारा व पूर्व में उनके पूर्वजों के द्वारा निर्माण के समय से ही की जाती रही है। जो अब परम्परा बन चुकी है। मंदिर निर्माण को आज करीब 135 वर्ष हो चुके है इस समयावधि मे सायल व उनके पूर्वजों के द्वारा ही सेवा पूजा अपने नीजि व पारिवारिक रीति रिवाजों से करते आ रहे है।

सायल के ईष्ट देव श्री लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर का निर्माण सायल के पूर्वज तत्कालीन ठाकुर साहब नत्थु सिंह जी की धर्मपत्नी राणी अमर कंवर के द्वारा करवाया गया था एवं ठाकुर साहब नत्थु सिंह जी ने उक्त मंदिर के नीचे ... कृषि भूमि मुर्ति की सेवा पूजा व मंदिर के रख रखाव की व्यवस्था के लिए ... सेवा पूजा आदि हो सके। मंदिर निर्माण से ही भूकरका के ठाकुरों जागीरदार द्वारा ही मूर्ति की सेवा पूजा आदि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:55:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

व्यवस्था आदि की जाती रही है। जो एक परम्परा बन चुकी है। उक्त मंदिर ग्राम भूकरका में स्थित गढ के अन्दर बना हुआ है जो सायल का पीढियों से नीजि मंदिर रहा है। वर्तमान में भी सायल ही उक्त मंदीर की सेवा करते है वही देख रेख करते है । चूंकि उक्त मंदिर का निर्माण सायल के पूर्वजों द्वारा ही करवाया गया था इसलिए सायल के पूर्वज उक्त मंदिर के संरक्षक की हैसियत रखते थे वर्तमान में सायल मूर्ति श्री लक्ष्मीनाथ जी के विधिवत मुताबिक रीति रिवाज के संरक्षक है। इसी हैसियत से यह प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। मंदिर मूर्ति से सम्बन्धित समस्त समपति के स्वामित्व मूर्ति श्री लक्ष्मीनाथ जी में ही निहित है व रहेंगे। सायल का पक्ष संरक्षक की हैसियत रखता है एवं रहेगा ।

अतः प्रार्थना–पत्र अर्ज है कि गैरसायलान के खिलाफ की इस अमर की जारी कि जावे कि वो वादग्रस्त भूमि रोही भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ के खसरा संख्या 724/1 तादादी 7.8530 हैक्टयर खसरा संख्या 724/2 तादादी 12.6840 हैक्टयर खसरा संख्या 724/3 तादादी 15.7190 हैक्टयर खसरा संख्या 724 ६ 4 तादादी 7.8530 हैक्टयर खसरा संख्या 938 /661 तादादी 1.0120 हैक्टयर खसरा संख्या 939/727 तादादी 2.0230 कुल तादादी 47.1456 हैक्टयर कृषि भूमि को रहन बैय मुन्तकिल नहीं करें एवं इसी कोई कार्यवाही नहीं करें जिसे मूर्ति श्री लक्ष्मीनाथ जी के खातेदारी हक हकुको पर विपरित असर पड़ता हो ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4, व 7/2 ता 7/5, 8 ता 10, 14, 16, 19, 20 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थीगण संख्या 3, 8 ता 10 व 14 ता 19 ने जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की रोही मौजा भूकरका के ख0न0 459 की कुल 186 बीघा 8 बिस्वा बंदोबस्त भूमि के लाभुराम पुत्र कुंजीराम जाति ब्राहमण साकिन भूकरका तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे तथा वाद भूमि मंदिर के नाम नही थी उक्त वाद भूमि पर उत्तरदातागण का ही स्वामित्व व मालिकाना हक है। वाद भूमि उत्तरदातागण या उनके पूर्वजों के 1969 से पहले से ही कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं लाभुराम का कब्जा मानकर ही लाभुराम के नाम खातेदारी दर्ज हुई है तथा लाभुराम के बाद उनके वारिसान के नाम मुताबिक हक हिस्सा दर्ज हुई है। भूप्रबन्धन विभाग द्वारा सहवन से मंदिर का नाम अंकन हो गया तत्पश्चात महाराज किशन पुत्र श्री भूराराम को गलल अंकन का पता चला तो माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर से गलत अंकन को दुरूस्त करवाकर पुन खातेदारी का अंकन करवा लिया। वादग्रस्त भूमि माननीय उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेशानुसार दर्ज थी जो की उत्तरदातागण के नाम सही दर्ज हुई व अनवरत उनके नाम चली आ रही है। सन 2002 में उक्त वाद भूमि मिसल बन्दोबस्त विभाग द्वारा भूमि मन्दिर लक्ष्मीनारायण के नाम दर्ज कर दी गई जसे दुरूस्त करवाने हेतु माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर में वाद स0 1 सन 1963 व अनवानी महाराज किशन बनाम र[illegible]ाया जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 28.06.1965 को डिक्री कर दिया गया। उक्त [illegible] दावा में गवाह अमरसिंह, जागीरदार ने अपने बयान में वादग्रस्त भूमि को मूर्ति लक्ष्मीनारायण [illegible] जगह उत्तरदातागण के पूर्वजो की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:55:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

होना स्वीकार किया तथा उक्त डिक्री की पालना में मन्दिर लक्ष्मीनारायण का नाम हटाकर उत्तरदातागण के नाम खातेदारी दर्ज नही की गई तब यज्ञदत आदि बनाम सरकार के नाम से सैटेलमेंट ऑफिसर के निर्णय के विरूद्ध भू प्रबन्धन अधिकारी बीकानेर में अपील पेश की गई एवं भू प्रबन्धन अधिकारी बीकानेर द्वारा दिनांक 07.04.1973 को यज्ञदत आदि बनाम सरकार न्यायालय एडिशनल सैटलमेंट कमीश्नर राजस्थान जयपुर में अपील पेश की गई एवं न्यायालय भू प्रबन्धन आयुक्त एवं पदेन संचालक भूमि एकीकरण राजस्थान जयपुर द्वारा मिसल न0 29/1974 निर्णय दिनांक 07.01.1975 द्वारा भू प्रबन्धक अधिकारी बीकानेर निर्णय दिनांक 22.10.1974 व एएसओ बीकानेर निर्णय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा पारित निर्णय बहाल रखा गया तथा उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा पारित निर्णय के अनुसार उत्तरदातागण के पूर्वजो के नाम खातेदारी का अमल दरामद किया गया। एकीकरण राजस्थान जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.01.1975 की माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की गई तथा माननीय मण्डल द्वारा निगरानी अपास्त कर दी गई। वादग्रस्त भूमि के माननीय न्यायालय भू प्रबन्धन विभाग बीकाने न्यायालय ऐडिसलन सैटिलमेन्ट कमीश्नर साहब राजस्थान जयपुर व राजस्व मण्डल अजमेर में निर्णय हो चुका है तथा प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि ग्राम भूकरका में कृषि भूमि खसरा संख्या 549 तादादी 186 बीघा 8 बिस्वा मंदिर मूर्ति श्री लक्ष्मीनाथ जी के नाम खातेदारी दे दी गयी तथा भूकरका का राजस्व रिकॉर्ड में नम्बर खेवट 143 नम्बर खतोनी 412 में कॉलम नं. 5 पर बहैसियत खातेदार मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ जी के नाम का अंकन है। मिसल बंदोबसत संवत 2001-02 के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी 2008 बनी जिसके खेवत संख्या 143 में खातेदार का नाम श्री ठाकुर जी मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ जी के नाम का अंकन है जबकि अप्रार्थीगण का कथन है कि रोही मौजा भूकरका के ख0न0 459 की कुल 186 बीघा 8 बिस्वा बंदोबस्त भूमि के लाभुराम पुत्र कुंजीराम जाति ब्राहमण साकिन भूकरका तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे तथा वाद भूमि मंदिर के नाम नही थी उक्त वाद भूमि पर अप्रार्थीगण का ही स्वामित्व व मालिकाना हक है। वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों एवं वाद भूमि में सायललान व गैरसायलान के हक हिस्सा का का निर्धारण मूल दावें के निर्णय में तय होना है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की अप्रार्थीगण के पक्ष में क्योंकि अप्रार्थी[illegible] अगर वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति [illegible] जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:55:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

निषेधाज्ञा खारिज की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थीगण को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपयुक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर दिनांक 17.08.2021 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/12/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:55:10 IST
Reason: SelfAttested